अपील सूचना अधिकार संख्या 41/2021 (RCMS 2021/64) (RTI-212208978800630) श्री विजय कृष्ण कौशिक निवासी श्रीपति कुन्ज, 12 पूजा कॉलोनी, मेनरोड, श्रीगंगानगर – 335001 (मोबाईल नं. 98293–81500) बनाम प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, श्रीगंगानगर

26.07.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विजय कृष्ण कौशिक उपस्थित नहीं है। विभागीय प्रतिनिधि श्री नीरज शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए और निवेदन किया अपीलार्थी को वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवा दी गई है औ प्रार्थी प्रथम अपील वापिस लेने हेतु लिखित में आवेदन भी किया गया है कि उसे वांछित सूचना प्राप्त हो गई है और वह इससे संतुष्ट है इसलिए वह प्रथम अपील वापिस लेना चाहता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना दिनांक 04.03.2021 से प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने यह प्रथम अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2021 के द्वारा जिला राजस्व लेखा शाखा, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> दिनांक 07.03.2014 को श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर मार्फत तहसीलदार, सूरतगढ को एक प्रार्थना पत्र मय खसरा नं 325/7 सूरतगढ रोही तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर टी.सी. जमीन को खातेदारी में करवाने हेतु दिया गया था जो कि इकबाल [illegible] पुत्र भूरे खां के नाम से दिया गया था। [illegible] 426 दिनांक 27.03.2014 को सूरतगढ तहसील [illegible] श्रीगंगानगर डीआरओ कार्यालय भेजा गया था, उस पर [illegible] भी कार्रवाई हुई? नकल समस्त फाईल देने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला राजस्व लेखा शाखा, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक डीआरए/आरटीआई/2019/986 दिनांक 26.07.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> श्री विजय कृष्ण कौशिक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील के संबंध में पत्र क्रमांक 516 दिनांक 25.03.2021 से प्रार्थी को आरटीआई एक्ट के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर चाही गयी सूचनाओं के पृष्ठों की संख्या से अवगत करवाते हुए 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से राशि जमा करवाने हेतु सूचित कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने तक कार्यालय में संपर्क कर राशि जमा नहीं करवाई गई थी एवं प्रथम अपील दायर कर दी गयी थी।
>
> प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 08.06.2021 को कार्यालय में संपर्क किया गया एवं पत्र क्रमांक 516 दिनांक 25.03.2021 द्वारा अवगत करवाई गई राशि रसीद क्रमांक 91054/25 दिनांक 08.06.2021 द्वारा जमा करवाये जाने पर प्रार्थी को चाही गयी सूचनाओ की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवा दी गयी है। प्रार्थी ने संतुष्ट होने एवं प्रथम अपील वापिस लेने हेतु लिखित में निवेदन किया है जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।
>
> **संलग्न प्रा.पत्र दिनांक 08.06.2021 की प्रति।**
>
> sd/-
> लोक सूचना अधिकारी
> एवं प्रभारी अधिकी
> जिला राजस्व लेखा शाखा
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी विजय कृष्ण कौशिक को दिनांक 08.06.2021 को वांछित सूचना उपलब्ध हो गई है। इसलिए वह अपनी अपील वापिस लेना चाहता है इस आशय का पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थी की अपील निष्प्रभावी हो गई है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:26 IST
Reason: SelfAttested